

भारत सरकार  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या : 606  
उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

606. श्री अमरा राम:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति किस वर्ष से बंद कर दी गई है तथा इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या सरकार का विचार इसे इस वर्ष से फिर से शुरू करने का है; और
- (ग) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 6 अधिसूचित धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू किया है।

छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निधि के गबन को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा दर्शाए गए रेड-फ्लैग्स के आधार पर जांच एजेंसी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संदिग्ध संस्थानों के सत्यापन और दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया। इन योजनाओं को वर्ष 2021-22 के बाद लागू करने के लिए मंजूरी नहीं दी गई है।

(ख) और (ग): मंत्रालय 16वें वित्त आयोग चक्र के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ईएफसी की मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

\*\*\*\*\*